

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 100 / 2022

नसीम अहमद एडवोकेट सीट नम्बर 56 सिविल कोर्ट फिरोजपुर झिरका हरियाणा।

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी कामां

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005


आदेश

दिनांक 30.12.2022

अपीलार्थी नसीम अहमद एडवोकेट सीट नम्बर 56 सिविल कोर्ट फिरोजपुर झिरका हरियाणा की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना उपखण्ड अधिकारी कामां के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/936 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्त ने अपनी अपील में अंकित किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। सूचना उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है। इस बाबत उपखण्ड अधिकारी कामां से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना, अपीलार्थी के कथनों की पुष्टी करता है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई चाही गई वांछित सूचनायें अन्दर 15 दिवस में उपलब्ध करावें। निर्णय प्रति अपीलार्थी को प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी कामां को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।


(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर